


ई-फॉरेंसिक 2.0 प्लेटफॉर्म किया शुरू



विशेष संवाददाता
भोपाल, 6 मार्च. मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला में अत्याधुनिक



डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-फॉरेंसिक 2.0 (बीटा) पर कार्य प्रारंभ किया है।
इस प्रणाली का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने किया। यह प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबल

इससे आपराधिक मामलों में साक्ष्य संकलन, परीक्षण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी हो सकेगी। वर्तमान में इस प्रणाली को क्राइम एंड क्रिमिनल टैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के साथ एकीकृत किया जा रहा है। आगामी माह में यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के पुलिस थाने सीधे (सीसीटीएनएस) के माध्यम से ई-फॉरेंसिक पोर्टल पर फॉरेंसिक परीक्षण और साक्ष्य विश्लेषण के लिए ऑनलाइन अनुरोध भेज सकेंगे।

ट्रेनों में अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए जांच जारी

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 6 मार्च. रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग की रोकथाम, खानपान सामग्री की गुणवत्ता जांच लगातार की जा रही है।
ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ, लिनेन स्टाफ, पेंटी/केटरिंग स्टाफ तथा वेंडर्स द्वारा अवैध रूप से शराब, गुटखा, सिगरेट आदि उपलब्ध कराने की संभावित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से भोपाल मंडल में दिनांक 2 मार्च से आगामी 15 दिनों तक विशेष संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वाणिज्य विभाग, मेकैनिकल विभाग तथा



रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न ट्रेनों में जांच की जा रही है।

मां की मौत को लेकर युवक ने रोका सीएम का काफिला

इंदौर. इंदौर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान एक युवक ने अपनी मां की मौत के मामले में न्याय की मांग करते हुए उनका काफिला रोक लिया। बताया गया कि करीब पांच महीने पहले मंजू चौहान को सर्दी-खांसी की शिकायत के चलते एक निजी क्लिनिक पर बीएचएमएस डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन और बॉटल लगाई गई थी। इसके बाद उनकी मौत हो गई। परिवार ने कहा कि डॉक्टर ने अब तक दवाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतका के बेटे रोहन ने न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का काफिला रोक दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवक से बात की।

किसानों का कर्ज बढ़ने के लगाए आरोप

विशेष संवाददाता
भोपाल, 6 मार्च. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा घोषित कृषि कल्याण वर्ष के दावों पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान आज भी अधूरे वादों, प्रशासनिक लापरवाही और कृषि विकास के लिए निर्धारित धन के सही उपयोग न होने के कारण परेशान हैं।
भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन पिछले दो



दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को केवल वादों के सहारे भ्रमित करती रही है।

डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर किया विरोध प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बार-बार खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों का कर्ज और आत्महत्याएँ बढ़ी हैं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय किसानों से किए गए तीन प्रमुख वादों को भी सरकार पुरा नहीं कर पाई है। इनमें सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूँ का 2,700 रुपये प्रति क्विंटल देने का आश्वासन शामिल था।



भोपाल, 6 मार्च. मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा संशोधित स्ट्राइपेंड लागू करने और एरियर देने की मांग को लेकर काली पट्टी लगाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि 01 अप्रैल 2025 से देय सीपीआई आधारित स्ट्राइपेंड संशोधन, जो कि अब तक लागू नहीं किया गया है तथा

हर बसाहट में पक्की सड़क हो : शुक्ल

उपमुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री सड़क परियोजना की समीक्षा
उपमुख्यमंत्री ने कहा सड़कें विकास की वाहक होती हैं। गांव और बसाहट तक पक्की सड़क की सुविधा होने से आवागमन सुगम होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास के अवसर मिलते हैं। बैटक में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, आयुक्त नगर निगम डॉ. सोनभ सोनवणे, एसीएम हजूरु डॉ. अनुराग तिवारी, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, पोस्ट वार्ड क्रमांक 4 दारा सिंह, राजेश पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

भोपाल, 6 मार्च. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के कार्यों की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना कार्यालय में

आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के मापदंडों के अनुसार हर बसाहट में पक्की सड़क की सुविधा दें। इसके लिए इस वर्ष की कार्ययोजना में चिन्हित सड़कों को शामिल करें।

न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर लगाई रोक

संस्कार ने 4 हफ्तों के लिए लगाई पाबंदी
सनसनीखेज खबरें दिखाने पर लिया फैसला
नई दिल्ली, 06 मार्च. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज टीवी चैनलों की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) की रिपोर्टिंग को फिलहाल रोकने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने रेटिंग एजेंसी बीएआरसी से कहा कि वह अगले 4 हफ्तों तक या अगले आदेश तक न्यूज चैनलों की टीआरपी जारी न करे। यह फैसला जनता के

हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अस्थायी तौर पर लगाई रोक
मंत्रालय के अनुसार इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान कुछ न्यूज चैनल बिना पुष्टा जानकारी के सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित खबरें दिखा रहे हैं। इससे आम लोगों में, खासकर प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों और उनके परिवारों में घबराहट फैल सकती है। इसी वजह से सरकार ने अस्थायी तौर पर टीआरपी रिपोर्टिंग रोकने का कदम उठाया है।

नाबालिग लड़की का पेड़ पर लटका मिला शव

भोपाल, 6 मार्च. रातोबड़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का पेड़ पर लटका शव मिला।
शुक्रवार सुबह घटना सामने आने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। मर्ग कायम कर रातोबड़ थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय किशोरी खुशी पारदी ग्राम छोटी झगरिया को रहने वाली थी।

पश्चिम मध्य रेल
अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) हेतु आमंत्रण सूचना
सं. BPL/Comm/Adv/EOI/2026/02 दिनांक: 05.03.2026
भारत की राष्ट्रपति की ओर से, बरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr.DCM), भोपाल, भोपाल मंडल के स्वाभिव्यक्ति वाली ट्रेनों के बाहरी हिस्से पर विनाइल रैपिंग (Vynil Wrapping) के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संवैधानिक निकायों/वित्तिक निकायों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करते हैं।
मुख्य विवरण:
• सौदा आवंटन: वाणिज्य परिषद क्र. 08/2023 द्वारा जारी रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार, सरकारी एजेंसियों को सौदा आवंटन आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा।
• उपलब्ध ट्रेनें: भोपाल मंडल के स्वाभिव्यक्ति की समस्त ट्रेनें जैसे 12155/56, 12061/62, 22169/70/71/72, 12185/86, 22187/88, 12183/84, 11272/71, 22161/62, 22163/64, 22165/66, 11631/32/33/34 आदि।
• विस्तार: अधिकतम दृश्यता हेतु कोच के बाहरी हिस्से पर हार्ड-क्वलिटी विनाइल रैपिंग। इच्छुक सरकारी विभाग/एजेंसी अपने प्रस्ताव (ट्रेन का नाम और अवधि सहित) बरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (DRM Office), प.म.र., साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.)-462024 में जमा कर सकते हैं। आवंटन जमा करने की अंतिम तिथि: 15.03.2026
विवरण एवं संपर्क हेतु संपर्क करें:
• संपर्क: मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (NFR) • भोपाल: +91-9752416997
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

एम्स में रामकृष्ण-विवेकानंद-वेदांत साहित्य प्रदर्शनी लगी

भोपाल, 6 मार्च. एम्स भोपाल के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पुस्तकालय (केंद्रीय पुस्तकालय) में 'श्री रामकृष्ण-विवेकानंद-वेदांत साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी एवं 'विक्री' का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा रामकृष्ण मठ

के सहयोग से आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों, विद्यार्थियों और पाठकों को भारतीय आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ना था, ताकि वे जीवन में सकारात्मक सोच और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकें।

वीरेंद्र साहू तैलिक महासभा में प्रदेश संगठन सचिव बने

बैरसिया, 6 मार्च. मध्य प्रदेश साहू तैलिक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू द्वारा बैरसिया निवासी वीरेंद्र साहू को प्रदेश संगठन सचिव पद पर नियुक्त किया है।
नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव ने संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा दिया है। वीरेंद्र साहू को मध्य प्रदेश तैलिक साहू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद्र साहू, संरक्षक डॉ. हेमराज साहू, महासचिव अनिल साहू, अकेला, हितेश साहू, उपाध्यक्ष जितेंद्र साहू, बैरसिया साहू समाज अध्यक्ष जितेंद्र साहू

डगा, नवयुवक मंडल अध्यक्ष प्रशांत साहू, पंकज साहू, शैलेंद्र साहू, रूपेश साहू, लालाराम साहू, नगर सेठ, प्रकाश साहू, गुलाब साहू, श्याम साहू, प्रमोद साहू, अजय साहू, अमित साहू, बद्री साहू, राजेंद्र साहू आदि ने बधाई दी है।

गंदगी फैलाने वाले से वसूला स्पॉट फाइन

भोपाल. नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के दल ने शुक्रवार को गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई जोन 18 के वार्ड 82 के रहवासी से 5 हजार रुपए स्पॉट फाइन वसूला। संबंधित व्यक्ति के द्वारा स्वर्ण जयंती पार्क में कचरा फेंका गया था। वार्ड 83 में अमेजॉन कार्यालय के सामने गंदगी पाये जाने पर 3 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

संचालनालय खेल और युवा कल्याण
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल (म.प्र.)
ई-निविदा सूचना
संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्य प्रदेश, द्वारा "स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर्स हेतु फिजियोथेरेपी उपकरण प्रदाय/स्थापना कार्य हेतु" निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्तें www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। ई-निविदा प्रकाशन उपरांत निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-टेंडर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा।
म.प्र. माध्यम/124771/2026 **संचालक**

MADHYA PRADESH MADHYAM
40, Administrative Zone, Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.)
TENDER FOR INTERIOR & MAINTENANCE WORKS
Sealed tenders are invited in the prescribed form for supply of office furniture and other interior maintenance works of Madhya Pradesh Madhyam, Bhopal from reputed and experienced Govt. furniture supply firms of Bhopal. Probable cost of work is Rs. 20 lakh. Tender documents and other details can be obtained from the office of Madhya Pradesh Madhyam on all working days during office hours upto **02.04.2026, 5.30 P.M.** by paying Rs. 2000/- (non-refundable) in cash. Tenders will be accepted upto **06.04.2026, 3.00 P.M.** and will be opened on the same day at 3.30 P.M. in the presence of tenderers or their authorised representatives who may like to be present. A Bank Demand Draft of Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only) drawn in favour of "Madhya Pradesh Madhyam, Bhopal" shall have to be enclosed alongwith the tender towards EMD. Tenders received after the prescribed time limit will not be entertained. The Managing Director of Madhya Pradesh Madhyam reserves all the rights to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.
Madhyam/124789/2026 **MANAGING DIRECTOR**

नाम परिवर्तन सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सतोंप रामचंद्र कोकने मेरी पुत्री के पुराने जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम अशिका कोकने अंकित हो गया था। लेकिन मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं अन्य मूल दस्तावेजों में उसका नाम अशिका संतोष कोकने अंकित है, जो सही है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः मैं मेरी पुत्री को अशिका संतोष कोकने पुत्री सतोंप रामचंद्र कोकने के नाम से जाना जाए।
सही: अशिका संतोष कोकने (ANSHIKA SANTOSH KOKANE)
पुत्री संतोष रामचंद्र कोकने
निवासी: ग्राम-जामदो, तह-मुर्तिजापुर, जिला-अकोला, महाराष्ट्र-444106

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.-03 बैरगढ़ चौकी, तहसील कोतार जिला भोपाल म.प्र.
प्रक्रमक्र. 022802032015076-APP-27373403
ग्राम का नाम: गेहूँखेड़ा
प.ड.नं. 10, तहसील कोतार, जिला भोपाल

सूचना पत्र
प्रति,
1. श्री राजेश अग्निहोत्री पुत्र श्री आर.के. अग्निहोत्री, निवासी-एच-1/14, वर इलाही, भोपाल म.प्र., 2. श्री कृष्ण के.सिंह पिता श्री हनुमंत सिंह हेमस एवं श्री बी.एस. पिता श्री पूरुष सिंह, खादतार-ग्राम-गेहूँखेड़ा, तहसील कोतार जिला भोपाल म.प्र., 3. रामप्रकाश विहारे एवं उदयलाल प्र.सि. एवं श्री रामराज पिता श्री एस.एन. शर्मा, निवासी ई-5/187, अरव कोतार, भोपाल म.प्र., 4. श्री कुलसखसेना पिता श्री कैलाश नारायण सखसेना एवं श्रीमती पुष्पलता सखसेना पत्नी श्री कैलाश नारायण सखसेना एवं श्री बलदेवराज कौर पत्नी श्री अर्चना पाल सिंह एवं श्रीमती रेखा पात पत्नी श्री सोहन पाल व श्री प्रकाश सिंह आ. श्री रामजी सिंह एवं अन्य सहखादतार-ग्राम-गेहूँखेड़ा, तहसील कोतार, जिला भोपाल म.प्र., 6. सर्वसाधारण एवं अन्य हितवाहक/पक्षधारण।
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आंदेक श्रीमती सन्मा सिंह देव पत्नी श्री ए.एस. सिंह देव, निवासी-ई-1/80, सरयूजा हाउस अरव कोतार भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम गेहूँखेड़ा, प.ड.नं. 10, तहसील कोतार, जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 16, रकबा 0.0400 हे. कुल खसरा नंबर 01, कुल रकबा 0.0400 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आंदेक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आंदेक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन में द्वारा दिनांक 13/3/2026 को समय प्रातः 11 बजे स्थल पर किया जाएगा। एतदोपरोक्त होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई अप्रति हो तो निम्न दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्थल परवर्ती एवं आनुमानिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना एवं प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोकना नहीं जायेगा। शर्त प्रस्तुत अप्रति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन को दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। एतदोपरोक्त भूमि खसरा का पता स्थल न होने से आंदेक स्थल के व्यवहार पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है।
आज दिनांक 6/3/2026 को हेतु हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.-03, बैरगढ़ चौकी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) खरगौन संभाग खरगौन

वेबसाइट: www.mp.gov.in/pwdmp, ई-मेल: eepwdkargone@mp.nic.in
फोन नं.: 07282-231213
निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 35/प.ते.नि./2025-2026 खरगौन, दिनांक 27/2/2026
निविदा लिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

सं. क्र.	टेंडर नं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	टेंडरवार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2026_PWDRB_486139_1	उपसंभाग बड़वाह के अंतर्गत साइट धरदार मार्ग पर विशेष मजबूतीकरण कार्य, लंबाई 3.30 कि.मी. (द्वितीय अमत्रण)	247.79	247.79	15000	केन्द्रीयकृत पीब्लिक/डी पीबी/रंग	03 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा प्रपत्र से संबंधित समस्त विवरण बिना शुल्क के वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
ऑनलाइन पेंडेंट करने के पश्चात बिड डॉक्यूमेंट फ्रॉम किया जा सकता है।
2. निविदा प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-
1. बिड डॉक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण, 2. अनेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3. चेक लिस्ट, 4. एफिडेविट बिड प्रस्तुत जानकारी बिड डाटा शीट में देदी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन फ्रॉम करने की दिनांक 2/3/2026 सुबह 10 बजे से दिनांक 16/3/2026 सायं 6 बजे तक निर्धारित है।
4. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देदी जा सकती है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन स्वीकार होंगे। भौतिक रूप से एफडीआर स्वीकार नहीं होगी।
5. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पत्र पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(भ/प) संभाग खरगौन

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
(A Govt. of M.P. Undertaking)
OFFICE OF DY. GENERAL MANAGER (O&M) DIVISION PIPARIYA
Phone No. : 07576-220249, E-mail : dgmpip@gmail.com
OFFER FOR HIRING VEHICLE
MPMKVVCL here by invited separate offer/rate for hiring the below mentioned type of Vehicle in the following locations :-

Tender Specification No.	Name of Unit/ Office	Particulars	EMD (Rs.)	Due Date of Submission of Offer	Opening Date & Time
EE/O&M// Vehicle/ 2026/5822-23 Pipariya, Dated 06.03.26	Assistant Manager MPMKVCL Chandone	Type Type F3 : Mini Pick up-Double cabin with ladder/Any Low-End SUV half open from backside for carriage of man, materials,ladder, etc. or equivalent. (for single shift) (As per Vehicle Policy)	3000/-	12.03.2026 Up to 03:00 pm	12.03.2026 at 3:30 pm
EE/O&M// Vehicle/ 2026/5824-25 Pipariya, Dated 06.03.26	Assistant Manager MPMKVCL Pipariya Rural North	Type Type F3 : Mini Pick up-Double cabin with ladder/Any Low-End SUV half open from backside for carriage of man, materials,ladder, etc. or equivalent. (for single shift) (As per Vehicle Policy)	3000/-	12.03.2026 Up to 03:00 pm	12.03.2026 at 3:30 pm

Other details, terms and conditions are available on company website <https://portal.mpcz.in> or the under signed office.
M.P. Madhyam/124785/2026 **DGM (O&M)**